

कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री दशरथ सिंह राव, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोछाल, शिवगंज जिला सिरोही को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक : एफ.6(6)एफडी/रूल्स/2010 दिनांक : 30.05.2022 के प्रावधानान्तर्गत एवं विभागाध्यक्ष, ई.एन.टी. राजकीय मेडिकल कॉलेज, उदयपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक : एस.ओ./जन./2013/158 दिनांक : 26.08.2013 की अभिशंषा पर आवेदन दिनांक : 01.06.2022 से इनके मूल वेतन का 6% (प्रतिशत) जो रु 1200/- (बारह सौ रु) प्रतिमाह से अधिक ना हो मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

श्री दशरथ सिंह राव, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोछाल, शिवगंज जिला सिरोही को (आकस्मिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) अवकाश काल, कार्यभार, संभालने हेतु मिलने वाले समय एवं निलम्बन के समय विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।


(गौरव अग्रवाल)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था-एबी/A-2/425/दशरथ सिंह/10 दिनांक : 08.06.2022
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, शिवगंज (सिरोही)।
3. प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोछाल, शिवगंज जिला सिरोही।
4. रजिस्टर्ड – श्री दशरथ सिंह राव, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोछाल, शिवगंज जिला सिरोही को मूल विकलांग प्रमाण पत्र सहित प्रेषित।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कंप्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर